कार्यालय जिलाधीश, गुरूग्राम।

आदेश

उप मण्डल अधिकारी (ना0) पटौदी ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 115/एम.सी. दिनांक 04.04.2019 के द्वारा अवगत करवाया है कि सिविल न्यायलय Sh. Prateet Singh Dhonchak, Civil judge (Jr. Divin.) Pataudi से प्राप्त आदेश दिनांक 28.08.2017 के अनुसार खेवट न0 2339 खाता न0 2800 मु0 न0 19 किला न0 23/1/2 (2-16), 23/2/2 (4-6), 24/2 (7-4), 25/2 (7-4) कुल रकबा 21 कनाल 12 मरला वाका सिवाना मौजा बोहडा कलां (ढाणी चित्रसैन) में बनी पक्की सिढीयो को तोडने के आदेश पारित किये है जिसमें आगामी तारिख दिनांक 10.04.2019 है। उक्त कार्यवाही को मध्यनजनर रखते हुए कानून एंव शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए पुलिस सहायता मय महिला पुलिस प्रदान करने की आवश्यकता है।

अतः **मैं, अमित खत्री, भा0प्रा0से0, जिलाधीश गुरूग्राम, उपमण्डल अधिकारी (ना0) पटौदी** के अनुरोध पर जाबता फौजदारी 1973 of (35) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए **श्री रविन्द्र सिंह, तहसीलदार, पटौदी (8059999999)** को उक्त कार्य के पूर्ण होने तक डियूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करता हू। ड्यूटी मजिस्ट्रेट Code of Criminal Procedure, 1973 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगें।

हस्ता/-
जिलाधीश, गुरूग्राम।

पृ0 क्रमांक 107 / एम0बी0 दिनांक 08/04/2019

इसकी एक प्रति निम्न अधिकारियों को भेजकर लिखा जाता है कि उक्त स्थान पर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार का माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश (Status quo/Stay order) तो नहीं पारित किया गया है अगर है तो न्यायालय के आदेशों की पालना की जावें तथा नियम अनुसार कार्यवाही करने के लिये सम्बन्धित विभाग की जिम्मेवारी होगी।

1. पुलिस आयुक्त, गुरूग्राम को भेजकर अनुरोध है कि डियूटी मैजिस्ट्रेट को पुरूष पुलिस व महिला पुलिस बल प्रदान करने का कष्ट करें।
2. पुलिस उपायुक्त (मु0), गुरूग्राम।
3. उपमण्डल अधिकारी (ना0) पटौदी।
4. **श्री रविन्द्र सिंह, तहसीलदार, पटौदी** । (डियूटी मैजिस्ट्रेट)
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, गुरूग्राम। (जिला गुरूग्राम की Website पर upload करने बारे)
6. आशुलिपिक उपायुक्त, गुरूग्राम।

कृते: जिलाधीश गुरूग्राम।